NR- 992

डीजी–परिपत्र संख्या-46/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः दिसम्बर 29, 2020

विषयः--हत्या के अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

डीजी परिपत्र–26/2020	दिनांक 14.08.2020
डीजी परिपत्र–44/2008	दिनांक 11.08.2008
डीजी परिपत्र–23/2007	दिनांक 14.06.2007
डीजी परिपत्र–68/2007	दिनांक 21.08.2007
डीजी परिपत्र–01/1995	दिनांक 14.01.1995
डीजी परिपत्र–21/1994	दिनांक 12.10.1994

आप अवगत हैं कि विगत कुछ समय से कतिपय जनपदों में विभिन्न प्रकार की प्रतिद्वंदिताओं एवं आपसी रंजिश/विवाद के कारण हत्या जैसे जघन्य अपराध घटित हुए हैं, जिनमें रंजिश की या तो पुलिस को पूर्व से जानकारी नही थी या जानकारी रहने पर भी प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही नही की गयी थी। यदि थाना स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी होती तो कदाचित हत्या जैसे जघन्य घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था। हत्या जैसी घटित होने वाली घटनाओं कि प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु हत्या जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है।

आगामी वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम सभी अवगत हैं कि इन चुनावों में आपसी रंजिश चरम पर होती है। अतएव चुनाव से पहले प्रत्येक गांव की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अपराध नियंत्रण की दिशा में सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत चुनाव में आमतौर पर गावों में पार्टीबन्दी/गुटबाजी उभर कर सामने आती है, जिसके कारण चुनाव से पूर्व/बाद में हत्या जैसे अपराध घटित होते हैं। इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाना जनपदीय पुलिस का कर्तव्य है और इसमें सर्वाधिक अहम भूमिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष की होती है। प्रत्येक का दायित्व भिन्न–भिन्न किन्तु उद्देश्य की समानता होती है।

इस प्रकार के घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्न उपाय सुझाव के रूप में प्रस्तुत किये जा रहें हैं, जिनका पालन करना व कराना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का दायित्व हैः–

- समस्त ग्रामों/मोहल्लों का एक बार भ्रमण कर इस बात की समीक्षा क्षेत्राधिकारी स्तर से कर ली जाये कि कहीं किसी भी प्रकार की गुटबन्दी व वैमनस्यता तो नही है, यदि गुटबन्दी या वैमनस्यता परिलक्षित होती है तो तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- यह अविवादित है कि हत्या जैसे अपराध का कारण कोई न कोई विवाद होता है या रंजिश होती है। हत्या की प्रत्येक घटना के पीछे रंजिश अथवा विवाद का पता थानास्तर पर निश्चित रूप से किया जा सकता है।
- हत्या के अभियोगों के समस्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाये। फरार अभियुक्तों के विरूद्ध दं0प्र0सं0 की धारा 82/83 की कार्यवाही भी सम्पादित की जाये। जहां आवश्यकता हो रा0सु0का, गैंगेस्टर एक्ट व शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही साक्ष्यों के आधार पर की जाये।

k–

- हत्या के ऐसे अभियोग, जिनका अनावरण नही हुआ है क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में अनावरण की कार्यवाही करायें एवं इन मामलों के अनावरण का दायित्व व्यक्तिगत रूप से थाना प्रभारी को सौंपा जाये।
- हत्या सम्बन्धी अभियोगों की विवेचनाओं का पर्यवेक्षण गहनता से होना चाहिये एवं समय से आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाये, जिससे कि अभियुक्तों की जमानत न होने पाये। महत्वपूर्ण मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगवाकर त्वरित पैरवी कराते हुए अभियुक्तों को सजा करायी जाये।
- कई ग्राम/मोहल्ले अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद इन्हें चिन्हित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसे ग्राम/मोहल्लों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यवाही करायें।
- पुरानी रंजिश/विवाद में सक्रिय भाग लेने वाले, हिंसा का सहारा लेने वाले तथा अपराधी तत्व का सहयोग लेने वाले का आवश्यक रूप से चिन्हांकन कराते हुये निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- वर्तमान ग्राम प्रधान व पूर्व में पराजित ग्राम प्रधान एवं ग्राम प्रधान पद के संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करा ली जाये। अपराधिक छवि के संभावित उम्मीदवारों पर सर्तक दृष्टि रखी जाये यदि पूर्व में किसी के विरूद्ध हत्या जैसे जघन्य अपराध चल रहे हों, जमानत पर हों, ऐसे अभियुक्तों का जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने पर गम्भीरता से विचार किया जाये।
- आपसी विवाद/रंजिश के मामलों का समय से निराकरण कर हत्या जैसी जघन्य घटना को होने से रोकने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु रंजिश रजिस्टर का गम्भीरता से अध्ययन किया जाये।
- चुनाव प्रकिया के दौरान छोटी से छोटी घटनायें चाहे उनकी शिकायत थाने पर की गयी अथवा नही की जानकारी एवं इनमें कार्यवाही आवश्यक है। इन प्रकरणों की जानकारी कर थानाध्यक्ष तत्काल आवश्यकतानुसार निरोधात्मक विधिक कार्यवाही करें।
- इसमें प्रभावी बीट व्यवस्था काफी मददगार हो सकती है। थाना स्तर पर आपराधिक/साम्प्रदायिक संग्रहण के कार्य को अपेक्षित महत्व नही दिया जाता है। ऐसी सूचनाओं का अभिलेखीकरण भी नही किया जाता है। अतएव ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रहण हेतु थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाये कि थानाध्यक्ष नियमित रूप से उपयोगी एवं सही सूचनाओं का संकलन करते रहें।
- रंजिश/विवादों के सम्बन्ध में प्रत्येक थानाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उचित माध्यम से दे, जिसमें स्पष्ट रूप से इंगित करें कि उनके द्वारा थाना क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे विवादों का अंकन ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में कर लिया गया है तथा उ0नि0 स्तर के अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। विवाद में समझौता या जो भी निरोधात्मक कार्यवाही अपेक्षित थी कर ली गयी है। यह प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की पेशी में उपलब्ध रहेगा, जिसे पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्रीय एवं अपर पुलिस महानिदेशक जोन जनपद भ्रमण के दौरान अवश्य देखेंगे।
- यदि उक्त के बाद भी पुराने रंजिश/विवाद के कारण यदि कोई हत्या/गम्भीर अपराध घटित होता है और यह पाया जाता है कि रंजिश/विवाद के कारण समुचित कार्यवाही नही की गयी है, तो दोषी पुलिस कर्मी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
- निकट भविष्य में सम्भावित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारी के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से **परिपत्र सं0:27/2020 दिनांक 23.08.2020** को विस्तृत दिशा निर्देश आप सभी को प्रेषित किये गये हैं, का अक्षरशः पालन किया जाये।

- उपरोक्त निर्देशों का कियान्वयन एवं अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नही के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस निर्देशों के अनुपालन में कोई शिथिलता न बरती जाये।

2. उपरोक्त दिशा–निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में मात्र आपके मार्ग दर्शन के लिये हैं इसके अतिरिक्त आप अपने जनपद की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितयों के आधार पर अन्य आवश्यक कदम उठा सकते हैं। आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

3. आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें एवं एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को इस निर्देश के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

29/12/20

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।